HEALTH DEPARTMENT

The 25th April, 1985

No. 45/84/80-5HBII.—The Governor of Haryana, is pleased to constitute State Malaria Working Committee at the State Headquarter for a period of one year as under ;—

Chairman	Minister of State for Health, Haryana.
Member	1. Secretary to Government Haryana, Health Department.
	2. Secretary to Government, Haryana, Local Government.
	3. Deputy Secretary to Government, Haryana, Health Department.
	4. Deputy Secretary to Government, Haryana, Finance Department.
	5. Director, Health Services, Haryana (General).
	6. Director, Panchayat Department, Haryana.
	7. Dtrector, School Education Department, Haryana.
	8. Joint Director (Malaria), Health Services.
	9. Regional Director, Health and Family Welfare, Government of India, Chandigarh.
	10. Assistant Director, Medical Services, Area, H. Q. Punjab, Himachal and Haryana, Ambala Cantt.
	11. C.M.O., Faridabad (By name).
	12. C.M.O., Bhiwani (By name).
	13. C.M.O., Ambala (By name).
Non-officials	14. Sh. Om Parkash Mahajan, MLA, Hissar.
	15. Master Ram Singh, MLA, Radaur (Kuruk shetra).
	16. Fateh Chand Vijh, MLA, Panipat (Karnal).
	17. Sh. Bhim Singh Dahiay, MLA, Rohtak (Sonepat).
	18. Sh. Sube Singh Poonia, MLA, Udhana (Jind).
	19. Thakur Baladar Singh, MLA, (Sirsa).
	20. Ch. Azmat Khan, MLA, Nuh.
	21. Sh. Ganesh Dass Bhatia, Model Town, Panipat,
	22. Kanwar Randeep Singh, Rana Bhawan, Old Sabji Mandi, Yamuna Nagar (Ambala).
	23. Dewan Dwarka Dass Khosla, Asstt. Editor, Nav Bharat Times, Delhi.
	24. Sr. Ajit Paul Singh, Ex-Chairman, M. C. Kalanaur, V. & P. O. Kalanaur, tehsil and district Rohtak.
	25. Shri P. S. Gulia, V. & P. O. Badali, district Rohtak.
	26. Shri Subhash Batra, Advocate, Model Town, Rohtak.
Member Secretary	Joint Director, Malaria, Haryana, Chandigarh.

Function	The Committee will review the progress of the National Malaria Eradication Programme in the State at periodical intervals/ coordinate the activities of the various agencies involved and advises ways and means to implement the progress effectively.
Meetings	The Committee will meet at Chandigarh at such time and date as may be fixed by the Chairman. The Members-Secretary will prepare the agenda for the meeting under the guidance of the Chairman and convene the meetings of the Committee after obtaining the orders of the Chairman in this behalf and will be responsible for the circulation of the agenda among the members.

The official member will draw TA/DA in conneetion with the meeting of the committee from the course from which they draw their pay. The expenditure on account of Bills of the members of Legislature and private members will be paid by the Health Department direct. The TA Bills of the M.L.As. will be countersigned by the Secretary, Haryana Vidhan Sabha.

M. SETH,

Financial Commissioner and Secretary to Government, Haryana, Health Department.

राजस्व विभाग

युद्ध जागीर

दिनांक 13 जून, 1985

क्रमांक 707-ज-(2)-85/18005.—श्री कन्हैया लाल, पुत्र श्री नत्थु राम जाट, गांव बलकरा, तहसील दादरी, जिला भिवानी, की दिनांक 11 दिसम्बर, 1983 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री कन्हैया लाल की मुब्लिग 300 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1818-ज-I-76/30384, दिनांक 29 सितम्बर, 1976 तथा 1789-जे-I-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती पतोरी देवी के नाम खरीफ, 1984 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

क्रमांक 673-ज(I)-85/18009.—श्री वरयाम सिंह, पुत्र श्री सन्ता सिंह, गांव असमानपुर, तहसील पहवा, जिला कुरुक्षेत्र, की दिनांक 2 जून, 1984 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए)(1ए)तथा 3(1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री वरयाम सिंह की मुब्लिग 300 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 270-ज-(I)-77/9147, दिनांक 1 अप्रैल, 1977 द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती प्रीतम कौर के नाम रबी, 1985 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

ओ० पी० सांगड़ा,
अवर सचिव, हरियाणा सरकार,
राजस्व विभाग।

श्रम तथा रोजगार विभाग

दिनांक 21 मई, 1985

क्रमांक 10(236)79-5श्रम.—चूंकि हरियाणा सरकार, श्रम तथा रोजगार विभाग अधिसूचना सं० 10(236)79-5श्रम, दिनांक 27 फरवरी, 1984 जो हरियाणा सरकार के राजपत्र 27 फरवरी, 1984 में प्रकाशित की गई थी और चूंकि छह मास की अवधि व्यतीत होचु की है।

2. इसलिए अब, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम, 34) की धारा-1 की उपधारा (5) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के परामर्श से तथा केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित स्थापनाओं के वर्गों के बारे दिनांक 12 जून, 1985 (मध्य रात्रि दिनांक 11 जून, 1985) से उक्त अधिनियम के उपबन्धों को इसके द्वारा लागू करने के आदेश देते हैं :—

अनुसूची

क्रमांक	स्थापना का वर्णन	क्षेत्र जहां पर स्थापना स्थित है	
		राजस्व ग्राम	हदबस्त नं०
1.	कोई परिसर और उसकी सीमाएं जहां पूर्ववर्ती बारह मास में किसी भी दिन से अथवा दस से अधिक व्यक्ति लेकिन बीस से कम व्यक्ति मजदूरी पर नियोजित हो अथवा नियोजित रहे थे और जिसे किसी भी भाग में उत्पादन (मैन्युफैक्चरिंग) प्रतिक्रिया में शक्ति का प्रयोग हो रहा हो अथवा फैक्टरी साधारणत: शक्ति से चलाई जाती है । लेकिन खान अधिनियम, 1952 के तहत खाने अथवा रेल रनिंग शैड या कोई ऐसी स्थापना शामिल नहीं है जो पूर्णत: कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, की 1943 की धारा–2 के खंड 12 में उल्लेखित किसी एक अथवा उत्पादन प्रतिक्रिया में लगी हो ।	हांसो	119 (जिला हिसार में)
2.	कोई परिसर और उसकी सीमाएं जहां पूर्ववर्ती बारह मास में किसी दिन बीस अथवा बीस से अधिक व्यक्ति मजदूरी पर नियोजित रहे हों अथवा नियोजित रहे थे और जिसके किसी भी भाग में उत्पादन प्रतिक्रिया में शक्ति का प्रयोग नहीं होता है अथवा फैक्टरी साधारणतया: बिना शक्ति की सहायता से चलाई जाती है लेकिन खान अधिनियम, 1962 के तहत खाने अथवा रेलवे रनिंग शैड या कोई ऐसी स्थापना शामिल नहीं है जो पूर्णत: कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा–2 के खंड में उल्लेखित किसी एक अथवा अधिक उत्पादन प्रतिक्रिया में लगी हो।	जैसा कि ऊपर कहा गया है।	
3.	निम्नलिखित संस्थापनाएं जिनमें पूर्ववर्ती बारह मास में किसी भी दिन बीस अथवा बीस से अधिक व्यक्ति मजदूरी पर नियोजित रहे हों अथवा नियोजित रहे थे ।	जैसा कि ऊपर कहा गया है।	
1.	सिनेमा और पूर्व दर्शन थियेटर		
2.	होटल और रैस्तरा		
3.	दुकानें		
4.	सड़क मोटर परिवहन स्थापनाएं ।		
5.	श्रम जीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें और विविध उपबन्ध अधिनियम, 1955) की धारा 2 (ब) में या परिभाषित समाचार पत्र स्थापनाएं ।		

कुलवन्त सिंह,
वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम तथा रोजगार विभाग।